न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक जिलाधीश, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संदीप काकड़ आर.ए.एस.

क्रमांक : 20 GCMS:- 2025/57 **दिनांक :** 27.1.25

राजसिंह उर्फ राजासिंह पुत्र श्री जोगेन्दरसिंह जाति रामगढ़िया निवासी चक 26 पी.बी.एन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान। **– प्रार्थी**

बनाम

तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) **– अप्रार्थी**

उपस्थिती : एडवोकेट रामस्वरूप बारूपाल – प्रार्थी
तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ – अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक : 27.1.25

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अभिभाषक उपस्थित पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में विचारण तथ्य यह है कि प्रार्थी राजसिंह उर्फ राजासिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसील सूरतगढ़ के चक 28 पी.बी.एन. 'ए' के खाता नं. 141/115 के पत्थर नं. 33/345 (22) के किला नं. 1/1 ता 3/3, 8 ता 13, 17 ता 24 में 4.301 है0 नहरी मय गै.मु. रास्ता मय खाला भूमि व पत्थर नं. 34/346 (29) के किला नं. 1 ता 3,, 9/1 में 0.696 है0, नहरी इस प्रकार कुल 11.322 है0 नहरी मय गै.मु.रास्ता मय खाला भूमि में से 1049/11322 हिस्सा यानि 1.049 है0 खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी का नाम राजसिंह पुत्र श्री जोगेन्द्रसिंह दर्ज है। जबकि वास्तविक नाम राजासिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह है। प्रार्थी के आधार कार्ड, ड्राईवर लाइसेन्स, पैन कार्ड व ग्राम पंचायत 27 पी.बी.एन. पंचायत 27 पी.बी. एन. पंचायत समिति पीलीबंगा में राजासिंह नाम दर्ज है। राजसिंह उर्फ राजासिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह जाति रामगढ़िया निवासी चक 26 पी.बी.एन. 'ए' तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ एक ही व्यक्ति है। राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम राजसिंह उर्फ राजासिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह जाति रामगढ़िया निवासी चक 26 पी.बी.एन. 'ए' तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ नाम दुरूस्ती की प्रार्थना की। यह प्रार्थनापत्र तहसीलदार सूरतगढ़ के समक्ष पेश किया गया व उनके द्वारा बाद रिपोर्ट पटवारी उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित किया गया।

प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर प्रार्थी को जरिये अभिभाषक सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र के तथ्यों को दोहराते हुए रिपोर्ट पटवारी एंव तहसीलदार सूरतगढ़ के प्रस्तुतिकरण की और ध्यान दिलाया। प्रस्तुत साक्ष्य से प्रार्थनापत्र की पृष्टि होना प्रकट किया व प्रार्थनापत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

राज्य पक्ष की और से राज्य हित को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थनापत्र निर्णय की प्रार्थना की गयी।

बाद सुनवाई पत्रावली के तथ्यों के परिवेश में अवलोकन करने पर पाया कि तहसील सूरतगढ़ के चक 28 पी.बी.एन. 'ए' के खाता नं. 141/115 के पत्थर नं. 33/345 (22) के किला नं. 1/1 ता 3/3, 8 ता 13, 17 ता 24 में 4.301 है0 नहरी मय गै.मु. रास्ता मय खाला भूमि व पत्थर नं. 34/346 (29) के किला नं. 1 ता 3,, 9/1 में 0.696 है0, नहरी इस प्रकार कुल 11.322 है0 नहरी मय गै.मु.रास्ता मय खाला भूमि में से 1049/11322 हिस्सा यानि 1.049 है0 खातेदारी भूमि के खाते में राजसिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह के स्थान पर ... उर्फ राजासिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह जाति रामगढ़िया निवासी चक 26 पी.बी.एन. 'ए' तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ का अंकित कर नाम दुरूस्ती के आदेश प्रदान किये जाते है। इसी अनुसार ... दुरूस्ती जमाबंदी में अंकित की जावे। पत्र अलग से तहसीलदार के नाम से जारी हो।

आदेश सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.01.31 13:14:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)